अनुदान संख्या 64 - श्रम और रोजगार मंत्रालय
GRANT No. 64 - MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**			
प्रभारित–	*Charged-*			
पूरक	*Supplementary*	*68,00*	*67,75*	*-0.25*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*			*शून्य NIL*
स्वीकृत–	Voted-	22481,88,00	11403,42,60	-11078,45,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			11048,89,00
पूंजीगतः	**Capital:**			
स्वीकृत–	Voted-	49,59,00	32,38,61	-17,20,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			11,76,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2251”	Major Head “2251”				
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services				
मू.	O.	64477.00	62051.17	61110.91	-940.26
पु.	R.	-2425.83			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2230" श्रम, रोजगार और कौशल विकास	Major Head "2230" Labour, Employment and Skill Development				
मू.	O.	1962744.00	1079248.83	1077394.79	-1854.04
पु.	R.	-883495.17			
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	219107.00	..	..	..
पु.	R.	-219107.00			

(I) ₹471107.00 लाख का प्रावधान बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹470459.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "2230" – "श्रम" –

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– नई रोजगार सृजन योजना" – ₹166000.00 लाख;

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – नई रोजगार सृजन योजना" – ₹86000.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत योजना को अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" – "श्रम – श्रमिक सामाजिक सुरक्षा" –

(I) Provision of ₹471107.00 lakhs remained wholly unutilised under twelve heads; of these ₹470459.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2230" - "Labour" -

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes - New Employment Generation Scheme" - ₹166000.00 lakhs;

(b) "Tribal Area Sub-Plan - New Employment Generation Scheme" - ₹86000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-approval of scheme.

(B) Major Head "2552" - "Labour - Social Security for Labour" -

(क) "सामाजिक सुरक्षा योजनाएं" – ₹2500.00 लाख;

(ख) "कर्मचारी पेंशन योजना, 1995" – ₹109500.00 लाख;

(ग) "असम में बागान श्रमिकों के लिए परिवार पेंशन–सह–जीवन बीमा योजना" – ₹5227.00 लाख; और

(घ) "असम में चाय बागान श्रमिकों के लिए जमा संबद्ध बीमा योजना" – ₹1232.00 लाख।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ड.) "नए रोजगार सृजन योजना" – ₹100000.00 लाख योजना को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) "सचिवालय – श्रम मंत्रालय" – ₹1002.84 लाख की बचत (₹9938.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम फिजिकल बैठकों और सम्मेलनों की वजह से कम घरेलू दौरे किए जाने और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कम विज्ञापन दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "संबद्ध कार्यालय – अन्य मदें" – ₹1964.83 लाख की बचत (₹22870.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से कम मांग, फिजिकल बैठकों और सम्मेलनों की कम संख्या होने की वजह से कम घरेलू दौरे, कम छुट्टी यात्रा रियायत दावों की प्राप्ति और कार्यालयों और आवासीय भवनों को किराए पर लेने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों से कम मांग होने के कारण हुई।

(a) "Social Security Schemes" - ₹2500.00 lakhs;

(b) "Employees Pension Scheme, 1995" - ₹109500.00 lakhs;

(c) "Family Pension-cum-Life Assurance Scheme for the Plantation Workers in Assam" - ₹5227.00 lakhs; and

(d) "Deposit Linked Insurance Scheme for Tea Plantation Workers in Assam" - ₹1232.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(e) "New Employment Generation Scheme" - ₹100000.00 lakhs - due to non-approval of scheme.

(II) Under Major Head "2251" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Secretariat - Ministry of Labour" - saving of ₹1002.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9938.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less domestic tours owing to less number of physical meetings and conferences and less advertisement in print and electronic media.

(B) "Attached Offices - Other Items" - saving of ₹1964.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22870.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less demand by Central Public Works Department, less domestic tours owing to less number of physical meetings and conferences, receipt of less leave travel concession claims and less demand from

(III) मुख्य शीर्ष "2230" – "श्रम" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "अनुसंधान और सांख्यिकी – अन्य मदें" – ₹2315.58 लाख की बचत (₹3551.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई परियोजनाओं को मंजूरी न मिलने के कारण हुई।

(खा) "श्रमिक सामाजिक सुरक्षा" –

(क) "सामाजिक सुरक्षा योजनाएं" – ₹14432.01 लाख की बचत (₹34908.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत मौजूदा लाभार्थियों से मांग प्राप्त न होने, असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस के तहत राज्यों से अनुग्रहपूर्वक भुगतान के लिए कम दावे प्राप्त होने और पोर्टल के रखरखाव और अन्य गतिविधियों के लिए एनआईसी से कम मांग होने के कारण हुई।

(ख) "नवीन रोजगार सृजन योजना" – ₹647983.55 लाख की बचत (₹648000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(गा) "शिक्षा – दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड" – ₹1374.01 लाख की बचत (₹11700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने और कम भौतिक बैठकों और कार्यशालाओं का आयोजन किए जाने के कारण हुई।

(घा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(क) "अन्य मदें" – ₹810.58 लाख की बचत (₹830.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई परियोजनाओं को मंजूरी न मिलने, कम फिजिकल

field offices for hiring of offices and residential buildings.

(III) Under Major Head "2230" - "Labour" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Research and Statistics - Other Items" - saving of ₹2315.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3551.00 lakhs) was due to non-approval of new projects.

(B) "Social Security for Labour" -

(a) "Social Security Schemes" - saving of ₹14432.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34908.00 lakhs) was due to non-receipt of demand from existing beneficiaries under Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana, receipt of less claim for the ex-gratia payment from States under National Data Base for Unorganised Worker and less demand from NIC for maintenance and other activities of the portal.

(b) "New Employment Generation Scheme" - saving of ₹647983.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹648000.00 lakhs) was due to non-approval of the scheme.

(C) "Education - Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development" - saving of ₹1374.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11700.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and conduction of less physical meetings and workshops.

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Other Items"- saving of ₹810.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹830.00 lakhs) was due to non-approval of

बैठकों, सम्मेलनों और घरेलू दौरों तथा स्थापना संबंधी कम व्यय होने के कारण हुई।

new projects, less physical meetings, conferences and domestic tours and less establishment related expenses.

(ख) "सामाजिक सुरक्षा योजनाएं" – ₹4821.02 लाख की बचत (₹8202.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम पेशेवरों की नियुक्ति और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों/मौजूदा लाभार्थियों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।

(b) "Social Security Schemes" - saving of ₹4821.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8202.00 lakhs) was due to hiring of less professionals and non-receipt of demand from field offices/existing beneficiaries under Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana.

(ग) "कर्मचारी पेंशन योजना, 1995" – ₹11869.00 लाख की बचत (₹181770.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना मांग आधारित होने की वजह से योजना के अंतर्गत कम सरकारी अंशदान के कारण हुई।

(c) "Employees Pension Scheme, 1995" - saving of ₹11869.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹181770.00 lakhs) was due to less Government contribution under the scheme, scheme being demand driven.

(घ) "सामान्य श्रमिक कल्याण योजनाएं" – ₹530.27 लाख की बचत (₹842.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवेदनों की कम संख्या और आपूर्ति एवं सामग्री की खरीद का मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(d) "General Labour Welfare Schemes" - saving of ₹530.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹842.00 lakhs) was due to less number of applications and non-materialisation of purchases for supplies and materials.

(ड.) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(E) "Tribal Area Sub-Plan" -

(क) "अन्य मदें" – ₹552.64 लाख की बचत (₹570.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई परियोजनाओं को मंजूरी न मिलने के कारण हुई।

(a) "Other Items" - saving of ₹552.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹570.00 lakhs) was due to non-approval of new projects.

(ख) "सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ" – ₹3057.13 लाख की बचत (₹4799.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के मौजूदा लाभार्थियों से कम दावे और राज्यों से अनुग्रहपूर्वक भुगतान के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "Social Security Schemes" - saving of ₹3057.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4799.00 lakhs) was due to receipt of less claims from existing beneficiaries of Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana and less claims for ex-gratia payment from States.

(ग) "कर्मचारी पेंशन योजना, 1995" – ₹6149.00 लाख की बचत (₹94170.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना मांग आधारित होने की वजह से योजना के अंतर्गत कम सरकारी अंशदान होने के कारण हुई।

(चा) "रोजगार सेवा – रोजगार सेवाएं – रोजगार प्रोत्साहन योजना" – ₹844.98 लाख की बचत (₹4237.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसी के कार्य निष्पादन के पुनर्मूल्यांकन और राष्ट्रीय करियर सर्विस 2.0 की बोली प्रक्रिया पूरी न होने की वजह से बिलों का भुगतान न किए जाने के कारण हुई।

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹561.89 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 67 प्रतिशत और 70 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2230" – "श्रम – श्रमिक सामाजिक सुरक्षा" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) "कर्मचारी पेंशन योजना, 1995" – ₹56018.00 लाख का अधिक व्यय (₹709560.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) "असम में बागान श्रमिकों के लिए पारिवार पेंशन–सह–जीवन बीमा योजना" – ₹5017.00 लाख का अधिक व्यय (₹2.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(गा) "असम में चाय बागान श्रमिकों के लिए जमा संबद्ध बीमा योजना" – ₹1171.00 लाख का अधिक व्यय (₹2.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग हेतु निधियों का

(c) "Employees Pension Scheme, 1995" - saving of ₹6149.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹94170.00 lakhs) was due to less Government contribution under the scheme, scheme being demand driven.

(F) "Employment Service - Employment Services - Employment Promotion Scheme" - saving of ₹844.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4237.00 lakhs) was due to non-payment of bills owing to re-assessment of performance of implementing agency and non-completion of bidding process of National Career Service 2.0.

(IV) Under two heads savings of ₹561.89 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 67 percent and 70 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2230" - "Labour - Social Security for Labour" - under the following heads:-

(A) "Employees Pension Scheme, 1995" - excess of ₹56018.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹709560.00 lakhs);

(B) "Family Pension-cum-Life Assurance Scheme for the Plantation Workers in Assam"- excess of ₹5017.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2.00 lakhs); and

(C) "Deposit Linked Insurance Scheme for Tea Plantation Workers in Assam" - excess of ₹1171.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2.00 lakhs).

Excess under the above three heads were due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on

पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष “4250”	Major Head “4250”				
अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	4898.00	3722.00	3188.76	-533.24
पु.	R.	-1176.00			

(I) “श्रम – अन्य मदें” के अंतर्गत ₹1698.05 लाख की बचत (₹4390.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूरा न करने तथा कम्प्यूटर और दूरसंचार उपकरणों की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(I) Under “Labour - Other Items” - saving of ₹1698.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4390.00 lakhs) was due to non-completion of work by Central Public Works Department and less procurement of computers and telecommunication equipment.

4. बीड़ी श्रमिक कल्याण कोषः–

बीड़ी निर्माण में लगे व्यक्तियों और उनके आश्रितों की कल्याणकारी गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के अंतर्गत इस निधि का गठन किया गया था। इस निधि का वित्तपोषण बीड़ी निर्माण से संबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए गोदामों से व्यक्तियों को जारी किए गए तंबाकू पर बीड़ी श्रमिक उपकर अधिनियम, 1976 के अंतर्गत एकत्रित उपकर द्वारा किया जाता था। यह उपकर वित्त अधिनियम, 1979 के अंतर्गत मार्च, 1979 से समाप्त कर दिया गया था, लेकिन बीड़ी श्रमिक कल्याण उपकर (संशोधन अधिनियम, 1981) के अंतर्गत 1 जनवरी, 1982 से पुनः लगाया गया।

4. *Beedi Worker Welfare Fund:-*

The Fund was constituted under the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 for financing welfare activities of persons and their dependents engaged in Beedi manufacturing. The fund was financed by the levy of cess collected under Beedi Workers Cess Act, 1976 on tobacco issued to the persons from warehouses for any purpose in connection with manufacture of Beedi. This cess was abolished with effect from March, 1979 under the Finance Act, 1979 but was levied again with effect from 1st January, 1982 under the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment Act, 1981).

वर्ष 2024–25 के लिए निधि का लेखा–जोखा इस प्रकार था:–

The Account of the Fund for 2024-25 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथ शेष	Opening Balance	-210,70,63
प्राप्तियां	Receipts	शून्य NIL
अदायगियां	Payments	शून्य NIL
अंत शेष	Closing Balance	-210,70,63